

1/12/2020

अपीलाट उप० नही। प्रेरेकार सरकार उप०/लोक
सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) धौलपुर
के पत्र क्रमांक: सुगम/सूचना अधिकारी/2020/4772
दिनांक 27-11-2020 के जरिये टिप्पणी प्राप्त हुई है
जिसमें अवगत कराया है कि प्रार्थी/अपीलाट

द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत -पाटी गई सूचना शायी | अपीलान्त को कार्यालय के पत्र क्रमांक: 4432-33 दिनांक 29/10/2020 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डांक आवेदक को सूचना की प्रति भिजवाई जा चुकी है। पुष्टि हेतु पत्र की प्रति संलग्न की है।

इस प्रकार अपीलान्त को सूचना जरिये रजिस्टर्ड डांक पत्र क्रमांक 4432-33 दिनांक 29/10/20 को भिजवाई जा चुकी है। अतः प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्त इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी (आर० जिला कलक्टर) धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्त को उपलब्ध कराई जावे। प्रभावकी फौसल सुधार होकर नम्बर से कम की जाकर आठ तकमील दरिखल शफार हो।

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर